

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लखीसराय

(जिला गंगा समिति, लखीसराय)

अल्पकालीन

-: आदेश :-

जिला गंगा समिति, लखीसराय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जिला परियोजना पदाधिकारी के रिक्त 01 पद हेतु योग्य एवं संबंधित क्षेत्र की अनुभवी युवा को योजना अवधि तक अनुबंधित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	पदनाम	मासिक मानदेय (रु०)	पदों की संख्या	भर्ती स्रोत	पात्रता
1	जिला परियोजना पदाधिकारी	Rs.-36000/-+2500/- (Establishment)+ 2000 (TA/DA)+ 500/- (Mobile and Communication Charges) per month	01	संविदा	<p>I. Educational Qualification:- Graduation degree in any discipline from a recognized University.</p> <p>II. Experience, Knowledge & Skills :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum 02 Years of working experience on education and awareness generation programmes on cleanliness drive, water bodies, Pollution abatement & sanitation, Youth Mobilization. • Good Working knowledge of MS office & Internet. • Strong management, liaison, documentation & communication skills. • Good command over English, Hindi and regional language. <p>III. Other requirement (s) :- Preference will be given to local candidate with good/excellent academic record & experience in relevant field.</p> <p>V. Age :- Maximum 45 Years (as in 01-06-2023)</p>

आवेदन पत्र का प्रारूप, निर्धारित मानदेय वांछित शैक्षिक योग्यताएँ, कार्यानुभव, कार्य एवं दायित्व इत्यादि का विवरण जिला के वेबसाइट www.lakhisarai.nic.in एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लखीसराय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं 03 वर्ष की अवधि तक के लिए है।

उपरोक्त पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (दिनांक 01.06.2023 को) है। इच्छुक अभ्यर्थी आदेश प्रकाशन के 15वें दिन तक सायं 05:00 बजे तक निर्धारित आवेदन प्रारूप में वांछित सूचनाओं को भरकर समस्त संलग्नकों एवं प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लखीसराय के पता पर हार्डकॉपी में निर्धारित तिथि एवं समय तक रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर भी जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी www.state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला गंगा समिति, लखीसराय

PR. No. 016098 (B & C) 2023-24

बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है। इससे संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज करायें, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

टॉल फ्री नं- 15545 या 1800 345 6268